उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- 37 /71-4-2025
लखनऊः दिनांक -03 जुलाई, 2025

शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण विषयक विज्ञप्ति संख्या-I/1012777/2025/71-4005(002)/7/2025, दिनांक 02 जुलाई, 2025 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र 0शासन।
2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निजी प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7- समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
8- निदेशक, मुद्रण एवं प्रकाशन, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को असाधारण गजट के भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशित कराकर कराकर 50 प्रतियां चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन,

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

संख्या-I/1012777/2025/71-4005(002)/7/2025

लखनऊः दिनांक 02-07-2025

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4 तथा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 की धारा-3(1) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों के शुल्क निर्धारण हेतु प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-I/666507/2024-71-4099/34/2021, दिनांक 12.06.2024 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

2- निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक डेन्टल कालेजों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 के बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण के संबंध में फीस नियमन समिति की बैठकें क्रमशः दिनांक 04.02.2025, 04.03.2025, 12.03.2025, 25 व 26.03.2025, 16.06.2025 तथा 20.06.2025 को सम्पन्न हुई। दिनांक 26 मार्च, 2025 को सम्पन्न फीस नियमन समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम , 2006 की धारा 10(2) में विहित व्यवस्था के अंतर्गत समस्त डेन्टल कालेजों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनकी सुनवाई की गयी।

3- समिति द्वारा डेन्टल कालेजों के द्वारा शुल्क निर्धारण के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों तथा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम , 2006 के धारा-10(1) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत फीस निर्धारित किये जाने के लिए प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक डेन्टल कालेजों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम के निर्धारित शुल्क (संलग्नक-1 के अनुसार) को अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से

Digitally signed by PARTHA SARTHI SENSHARMA
Date: 02-07-2025 20:02:23

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संलग्नक-1

बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु निधारित शुल्क

क्र0	कालेज का नाम	निर्धारित शुल्क (धनराशि रू0 में)
1	इंस्टीटयूट आफ डेंटल साईसेज बरेली।	2,93,000.00
2	सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटयूट आफ डेण्टल एण्ड मेडिकल साईसेंज लखनऊ।	4,92,480.00
3	कालका डेण्टल कालेज मेरठ	2,93,000.00
4	श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर गाजियाबाद।	3,60,000.00
5	डेण्टल कालेज आजमगढ़	2,93,000.00
6	चन्द्रा डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल बाराबंकी	2,93,000.00
7	के0डी0 डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल मथुरा	3,28,000.00
8	पूर्वान्चल इंस्टीटयूट आफ डेण्टल साईसेंज, गोरखपुर	2,93,000.00
9	इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल गजियाबाद	3,75,600.00

10	रामा डेण्टल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कानपुर	3,13,000.00
11	आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोयडा।	4,38,000.00
12	आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, गाजियाबाद ।	5,52,960.00
13	सुभारती डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल मेरठ।	3,76,200.00
14	स्कूल ऑफ डेण्टल साइसेंज, ग्रेटर नोयडा (शारदा विश्वविद्यालय)।	3,65,000.00
15	बाबू बनारसी दास कालेज आफ डेन्टल साईसेंज लखनऊ	3,48,000.00
16	कोठीवाल डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद।	3,65,000.00
17	महाराणा प्रताप डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल कानपुर।	3,21,000.00
18	इंसटीटयूट आफ डेन्टल सटडीज एण्ड टेक्नोलाजीस, मोदीनगर, गाजियाबाद।	3,38,000.000
19	सरस्वती डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।	4,21,920.00

छात्रावास शुल्क -		
(क)	नॉन ए0सी0	रू0 98,175/- प्रतिवर्ष
(ख)	ए0सी0	रू0 1,21,275/- प्रतिवर्ष

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लंच व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वैरायटी का होगा।

सिक्योरिट डिपाजिट (वापसी योग्य) -

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए रू0 3 ,00,000/- एक बार।

विविध शुल्क - रू0 44,000/- प्रतिवर्ष

विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेन्ट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्टस फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त कालेज द्वारा कोई अन्य फीस नहीं ली जायेगी।

शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित डेण्टल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतन्त्र है।

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव ।